सत्यमेव जयते

MHRD | Government of India
Ministry of Human Resource Development

मसौदा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019
मुख्य विशेषताएँ

स्कूल शिक्षा

2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

- आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाना,
- नए प्री-स्कूल खोलना,
- प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार

2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता / संख्यात्मकता

- भाषा / गणित- गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान
- नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम
- स्कूल की तैयारी मॉड्यूल
- उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम
- शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो

नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना

- 5 + 3 + 3 + 4 डिजाइन (उम्र 3-18)
- मूलभूत चरण (पूर्व-प्राथमिक और ग्रेड 1-2)
- प्रारंभिक चरण (ग्रेड 3-5)
- मध्य चरण (ग्रेड 6-8)
- माध्यमिक चरण (ग्रेड 9-12)
- केवल शैक्षिक पुनर्संरचना; स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं

पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र का परिवर्तन

- भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिकी का विकास करना
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा
- भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकें
- लचीला / एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा

कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों (URGs) पर विशेष ध्यान

- लिंग (महिला और ट्रांसजेंडर),
- सामाजिक-सांस्कृतिक (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., मुस्लिम, प्रवासी समुदाय),
- विशेष आवश्यकताएं (सीखने और शारीरिक अक्षमता), और
- सामाजिक-आर्थिक स्थिति (शहरी गरीब)
- मुस्लिमों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप

रणनीतियाँ

- वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा ज़ोन
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष
- लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना
- यूआरजी शिक्षक भर्ती
- 25: 1 शिष्य-शिक्षक अनुपात
- समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम
- मदरसों, गुरुकुल, पाठशालाओं, को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और NCF को सिखाने और
  एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- शहरी गरीबों पर ध्यान देना

यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन

2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात

- मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि
- रेखांकित स्थानों में नई सुविधाएं
- परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण
- उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बहार के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखना
- दीर्घकाल तक स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम
- सीखने के लिए कई रास्ते - औपचारिक और गैर-औपचारिक मोड, ओपन स्कूलिंग, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को मजबूत करना
- शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाए

भाषा

बच्चे 2-8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं, और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ हैं

- शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा / मातृभाषा
- प्री-स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को तीन या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर
- तीन-भाषा सूत्र में लचीलापन: छात्र ग्रेड 6 या 7 में तीन भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं,
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती करना।
- माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव
- संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है
- स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, फारसी, और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का शिक्षण

स्कूल परिसर

स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन की न्यूनतम व्यवहार्य इकाई है

- **एक सन्निहित भूगोल के भीतर लगभग 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर**
- **एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है**

स्कूल परिसर क्यों

- प्रभावी प्रशासन-स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं
- संसाधनों को साझा करना: प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं
- शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को साझा करना
- एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का समुदाय
- स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियाँ

स्कूल शिक्षा का विनियमन

- हितों के टकराव को खत्म करने के लिए अलग-अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनियमन और संचालन
- नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण (SSRA) - बनाया जाना है
- स्कूल शिक्षा निदेशालय - पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन

  एससीईआरटी - सभी शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व करते हैं
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी रखना – राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण जारी रखना
- सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनियमन

शिक्षक: परिवर्तन का पथप्रदर्शक

2022 तक पैरा-शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना

- पर्याप्त भौतिक अवसंरचना, शिक्षण संसाधन, पीटीआर
- पुन: डिज़ाइन किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन
- शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया गया
- शिक्षक कैरियर विकास: शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा
- शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास
- लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण
- पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकृत निर्धारण नहीं
- भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री
- कायाकल्प शैक्षणिक सहायता संस्थान

सक्रिय, संलग्न और सक्षम संकाय

- हर संस्थान में पर्याप्त संकाय
- तदर्थ, संविदा नियुक्तियों पर रोक
- अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती
- स्थायी रोजगार (कार्यकाल) ट्रैक प्रणाली
- सतत संकाय पेशेवर विकास
- संकाय भर्ती, कैरियर की प्रगति: संस्थागत विकास योजना का हिस्सा
- अकादमिक स्वंतत्रता के साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया है

उच्चतर शिक्षा

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

लगभग 15,000 बड़े, बहु-विषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण.

तीन प्रकार के HEI:

1. अनुसंधान विश्वविद्यालय - अनुसंधान और शिक्षण (150-300 सं.) पर समान ध्यान केंद्रित।
2. शिक्षण विश्वविद्यालय - अनुसंधान के साथ शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान (1000-2000 सं.)
3. स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज- शिक्षण पर विशेष ध्यान (5,000-10,000 सं.)

- सभी HEI, विषयों और क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रमों के साथ, बहु-विषयक संस्थान बनने के लिए
- वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता
- पर्याप्त सार्वजनिक निवेश
- मिशन नालंदा (MN) और मिशन तक्षशिला (MT)
- MN: समान क्षेत्रीय वितरण के साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 HEI कार्य करते हैं
- MT: 2030 तक हर जिले में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाले HEI की स्थापना करना।

उच्च गुणवत्ता की उदार शिक्षा की ओर

व्यापक बहुसांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ उदार शिक्षा

- कई निकास विकल्पों के साथ 3-4 साल की स्नातक की डिग्री

- 4 साल का कार्यक्रम - उदार कला / शिक्षा के स्नातक - मेजर और माइनर्स
- 3-वर्षीय कार्यक्रम - स्नातक की डिग्री
- 2 साल के उन्नत डिप्लोमा या 1 साल के प्रमाण पत्र के साथ निकास
- 3 और 4 दोनों साल के कार्यक्रम - अनुसंधान कार्य के साथ ऑनर्स की डिग्री
- लचीली मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम

- 3 साल स्नातक की डिग्री वाले लोगों के लिए 2 साल
- ऑनर्स उपाधि के साथ 4 साल की स्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष

- 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम
- कल्पनाशील और लचीली पाठय संरचना
- अध्ययन के विषयों का रचनात्मक संयोजन
- एकाधिक निकास और प्रवेश बिंदु
- स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा अनुसंधान आधारित विशेषज्ञता प्रदान करते हैं

उच्च शिक्षा: शासन और विनियमन

- मानक सेटिंग, वित्त पोषण, मान्यता और विनियमन स्वतंत्र निकाय,
- 'हल्का किन्तु घाना ' (लाइट बट टाइट)विनियमन
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण (NHERA)
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - उच्च शिक्षा अनुदान परिषद में परिवर्तित
- व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडीज़ (PSSBs)-पेशेवर अभ्यास और शिक्षा के लिए मानकों को निर्धारित करें
- सामान्य शिक्षा परिषद - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का विकास
- नियमन के लिए आधार के रूप में प्रत्यायन - NAAC- प्रत्यायन और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास
- उच्च शिक्षा के राज्य विभाग - नीति स्तर पर शामिल
- उच्च शिक्षा की राज्य परिषद - सहकर्मी सहायता और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने की सुविधा
- सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए सामान्य नियामक शासन
- निजी परोपकारी पहल को प्रोत्साहन

उच्च शिक्षा में स्वायत्तता

- सभी उच्च शिक्षा संस्थान स्वायत्त स्वशासी संस्थाएं बनें

- उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र समितियों द्वारा पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ शासित किया जाना है
- बाहरी हस्तक्षेप समाप्त करना
- संस्थागत प्रतिबद्धता के साथ उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों को कार्यनियोजित करना
- कार्यक्रम शुरू करने और चलाने के लिए पाठ्यक्रम, छात्र की क्षमता और संसाधनों की आवश्यकता निर्धारित करना, शासन और लोगों के प्रबंधन के लिए आंतरिक प्रणाली विकसित करना
- संबद्धता - संबद्ध महाविद्यालयों को उपाधि देने वाले स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में विकसित करना;
- संबद्ध विश्वविद्यालय एक जीवंत बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित होंगे

अध्यापक / व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में एकीकृत करना

अध्यापक की शिक्षा

बहु-विषयक संस्थानों में 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक

वर्तमान दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम 2030 तक जारी रहें

2030 के बाद, केवल 4-4 वर्ष के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान 2-वर्षीय कार्यक्रम चला सकते हैं

घटिया और निष्क्रिय शिक्षक शिक्षण संस्थान बंद किये जाएं

व्यावसायिक शिक्षा

उच्च शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा

स्वचलित(स्टैंड-अलोन) तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, विधि और कृषि विश्वविद्यालयों, या इन क्षेत्रों अथवा अन्य में भविष्य में संस्थान स्थापित नहीं किया जाएंगे और यदि आवश्यक हो, तो बंद भी कर दिया जाएगा।

व्यावसायिक या सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को 2030 तक दोनों पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के रूप में व्यवस्थित रूप से विकसित होने चाहिए

इष्टतम शिक्षण वातावरण, छात्र सहायता, ओडीएल, अंतर्राष्ट्रीयकरण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता का फ्रेमवर्क - परिणाम-आधारित और साख आधारित
- प्रभावी शैक्षणिक प्रथाओं के माध्यम से सीखने के अनुभवों को उभारना
- छात्रों का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक पहलुओं के आधार पर न कर समिति की क्षमताओं और प्रकृति के अनुरूप करना
- छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक, वित्तीय और भावनात्मक समर्थन
- ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार
- शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण सुगम बनाना
- इसके लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी:
- वंचित समूहों तक शैक्षिक पहुंच को बढ़ाया जाना
- शिक्षा योजना, प्रशासन और प्रबंधन
- राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम- एक स्वायत्त निकाय - प्रौद्योगिकी के उपयोग, तैनाती, तैनाती पर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना
- शैक्षिक डेटा का राष्ट्रीय भंडार - संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों के सभी रिकॉर्ड का रख-रखाव करना

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)

- स्वायत्त निकाय, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित
- रु. 20,000 करोड़ का वार्षिक अनुदान - अगले दशक में उत्तरोत्तर वृद्धि
- फाउंडेशन के काम के दायरे में शामिल होंगे:
- एक प्रतिस्पर्धी, सहकर्मी-समीक्षा आधारित प्रक्रिया के माध्यम से सभी विषयों में अनुसंधान अनुदान
- देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण
- अनुसंधान विश्वविद्यालयों के माध्यम से बीजारोपण अनुसंधान के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान क्षमता को प्रोत्साहित करना और निर्माण करना; राज्य विश्वविद्यालयों में मौजूदा शोध बढ़ रहा है; डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप
- शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योग के बीच लाभकारी संबंध बनाना
- विशेष पुरस्कारों और सेमिनारों के माध्यम से उत्कृष्ट शोध को मान्यता देना
- NRF के पास शुरुआत करने के लिए चार प्रमुख विभाग होंगे - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी

व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण

- व्यावसायिक शिक्षा उदार शिक्षा का अभिन्न अंग है
- व्यावसायिक शिक्षा शिक्षा संस्थानों में एकीकृत
- फोकस क्षेत्र - कौशल अंतराल विश्लेषण, स्थानीय मानचित्रण
- शिक्षक तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा
- प्रयास की देखरेख के लिए व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण पर राष्ट्रीय समिति (NCIVE)
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा अधिक विस्तृत होगी
- 'लोक विद्या', भारत में विकसित ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ कराना

प्रौढ़ शिक्षा

- वयस्क शिक्षा के लिए NCF: NCF से जुड़ी शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और प्रमाणन
- वयस्क शिक्षा केंद्र के कैडर और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा ट्यूटर्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षक बनाए गए
- मौजूदा तंत्र ने प्रतिभागियों की पहचान करने के लिए लाभ उठाया, सामुदायिक स्वयंसेवकों ने प्रोत्साहित किया
- बड़े पैमाने पर जन जागरूकता लाना
- महिलाओं की साक्षरता पर विशेष जोर

भारतीय भाषाओं का प्रचार

- भारतीय भाषाओं में भाषा, साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावली पर ध्यान दें
- देश भर में मज़बूत भारतीय भाषा और साहित्य कार्यक्रम,
- भाषा शिक्षकों और अध्यापकों की भर्ती,
- भाषाओं पर केंद्रित शोध
- शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत किया
- पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाना है
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (IITI) की स्थापना विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं के बीच महत्व की सामग्री के उच्च गुणवत्ता वाले अनुवादों को करने के लिए की जाएगी।
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए अधिदेश को नए सिरे से और विस्तारित किए जाएं, जिसमें सभी विषयों और क्षेत्र को शामिल हों, न कि केवल भौतिक विज्ञानों को शामिल किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

- राष्ट्रीय शिक्षायोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग - सर्वोच्च निकाय
- प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के रूप में नया स्वरूप दिया जाएगा।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री –उपाध्यक्ष के तौर पर दिन-प्रतिदिन के मामलों की जिम्मेदारियों से सीधे निर्वहन करेंगे
- आयोग के गठन में प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे,
- विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधित्व
- खेत
- आयोग के सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता वाले लोग होंगे, जनता का रिकॉर्ड
- उनके क्षेत्रों में योगदान, अखंडता अखंडता
- समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए Aayog हर राज्य के साथ मिलकर काम करेगा
- ❖ राज्य राज्य शिक्षा आयोग या राज्य शिक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं

वित्त पोषण शिक्षा

- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निवेश में वृद्धि 10 वर्ष की अवधि में कुल सार्वजनिक व्यय का 20% है

- मुख्य संज्ञान क्षेत्र:
- बाल शिक्षा का विस्तार और सुधार
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना
- स्कूल परिसरों की पर्याप्त और उपयुक्त पुनर्स्थापना
- भोजन और पोषण (नाश्ता और दोपहर का भोजन)
- शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शोध को पुनर्जीवित करना
- कायाकल्प, सक्रिय प्रचार और निजी परोपकारी गतिविधि के लिए समर्थन
- चिकना, समय पर, धन का उचित प्रवाह, प्रोबिटी के साथ उपयोग
- शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बंद करो
- सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश

धन्यवाद

मानव जाति के हर काल में, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जो बनाया जाता है पिछली सभी पीढ़ियों द्वारा, जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपना खुद का जोड़ देती है। मोबियस स्ट्रिप का मूल ज्ञान की सतत, विकासशील और जीवंत प्रकृति का प्रतीक है - जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। यह नीति इस निरंतरता के एक भाग के रूप में ज्ञान के सृजन, संचरण, उपयोग और प्रसार की परिकल्पना करती है।